प्रेषक,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक/आंग्ल–भाषा/ 6856-59 /मान्यता/2010–11 दिनांक 13 मई, 2010

विषय :– **द स्कालर एकादमी कालाढूंगी (नैनीताल) को ऐंग्लो इण्डियन स्कूल अंग्रेजी माध्यम की कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी में प्रदान किया जाना।**

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–NOC-10/XXIV(1)/2010 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 20 अप्रैल, 2010 द्वारा द स्कालर एकादमी कालाढूंगी (नैनीताल) को कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अंग्रेजी माध्यम से अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण समय–समय पर कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा।
3. विद्यालय में नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें।
4. विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
6. संस्था द्वारा छात्र–छात्राओं हेतु मानकानुसार पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी।
7. संस्था द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य वेतनमान तथा भत्तों से कम नहीं दिया जायेगा।
8. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी, जिसमें लाभकारी योजनाओं का समावेश किया जाय।
9. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
10. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं पर रखा जायेगा।
11. विद्यालय में कक्षा–कक्ष, एवं स्टॉफ कक्ष निर्धारित मानकानुसार बनाये जाय।
12. विद्यालय में कक्षा–8 तक के छात्रों के लिए कम से कम 350 पुस्तकें रखी जाय।
13. संस्था में कक्षा अनुभागों के सापेक्ष अध्यापकों की तैनाती कर ली जाय।
14. अप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर लिया जायेगा।
15. निर्धारित समयान्तर्गत अपना निजी भवन बनाये जाय।

2– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त मान्यता वापस ले ली जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न– उक्त शासनादेश की छाया प्रति

भवदीय,

13/5/10

(डॉ. गिरीश चन्द्र बडोनी)
स्टॉफ आफिसर
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./आंग्ल–भाषा/ 6856-59 /मान्यता/2010–11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), नैनीताल।
3. प्रबन्धक, द स्कालर अकादमी कालाढूंगी,, नैनीताल।

13/5/10

(डॉ. गिरीश चन्द्र बडोनी)
स्टॉफ आफिसर
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner